प्रेस नोट
दिनांक 11.10.2025

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 24,999/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **24,999/–** पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.09.2025 को आवेदक जाहिद अली पुत्र जाबिर हुसैन नि0 पण्डरी कृपाल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के साथ साइबर ठगो द्वारा ओटीपी के माध्यम से उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए थे। जिसकी पीड़ित द्वारा 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज करायी गयी थी तथा थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसपर थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 24,999/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी कार्यालय मनकापुर में परिवार परामर्श केन्द्र, आधुनिक आरक्षी बैरक और ओपेन जिम का लोकार्पण–

आज दिनांक 11.10.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीज जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी कार्यालय मनकापुर में नवनिर्मित परिवार परामर्श केन्द्र, मार्डन आरक्षी बैरक और कार्यालय परिसर में स्थापित ओपेन जिम का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में महिलाओं और परिवारों को सामाजिक, कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं। केन्द्र में कम्प्यूटर सिस्टम, टेबल, कुर्सी, वाटर डिस्पेंसर जैसी सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित कर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ आने वाले नागरिकों को परामर्श, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे घरेलू हिंसा, बाल अधिकार, महिला सुरक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। यह केन्द्र मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला एवं परिवार सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। आरक्षी बैरक पुलिस कर्मियों की सुविधा और आराम के लिए आधुनिक तकनीकी और भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रत्येक कर्मी के लिए बेड, गद्दा, तकिया, बेडशीट उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं उनके व्यक्तिगत सामान रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था की गई है। बैरक में आरामदायक वातावरण और अत्याधुनिक संरचना सुनिश्चित की गई है, जिससे ड्यूटी के पश्चात कर्मियों को पूर्ण विश्राम और सुरक्षा का लाभ मिलेगा। कार्यालय परिसर में स्थापित ओपेन जिम में पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक व्यायाम उपकरणों की व्यवस्था की गई है। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों से कर्मियों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। **महोदय ने कहां कि पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम मिशन शक्ति 5.0 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य न केवल महिला और बाल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि कार्यालय परिसर में आधुनिक और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करना भी है। इससे पुलिस कर्मियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा और आमजन को बेहतर सेवाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेंगी।** इस पहल से यह संदेश स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन महिला एवं परिवार सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और आधुनिक कार्यस्थल सुविधाओं के प्रति समर्पित है।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल एवं प्र0नि0 मनकापुर श्री निर्भय नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना को0 नगर में की गयी जनसुनवाई, जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 11.10.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा को0 नगर में जनसुनवाई की गयी। महोदय द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना को0 नगर में जनसुनवाई के दौरान 02 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया।

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 11.10.2025

थाना समाधान दिवस पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा फरियादियों की समस्याओं का समाधान एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 11.10.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह द्वारा थाना नवाबगंज में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना गया। तथा प्रत्येक प्रकरण के निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। समाधान दिवस के दौरान क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि शासन एवं पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर जनसामान्य में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपस्थित थाना प्रभारी नवाबगंज एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। समाधान दिवस कार्यक्रम के पश्चात क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित नागरिकों को "साइबर माह" एवं "मिशन शक्ति फेज–5" के अंतर्गत साइबर अपराधों से बचाव, नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। महोदय ने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः आमजन को सावधान रहकर सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे–112 (आपातकालीन सहायता), 1090 (महिला हेल्पलाइन), 1930 (साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग), 181 (महिला सशक्तिकरण हेल्पलाइन) की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा से संबंधित पंपलेट वितरित कर आमजन में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया।
तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा अपने सर्किल क्षेत्रान्तर्गत समस्त थानों पर नियुक्त साइबर टीम एवं मिशन शक्ति टीम को गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन जोड़कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में सभी टीमों को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में मिशन शक्ति एवं साइबर सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता गतिविधियों को निरंतर संचालित करें, विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति शिक्षित एवं जागरूक करें। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान एवं सुरक्षा की भावना को समाज में गहराई तक स्थापित करना है।

इस अवसर पर थाना प्रभारी नवाबगंज, राजस्व अधिकारी, महिला बीट अधिकारीगण, साइबर टीम सदस्य सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 11.10.2025

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा थाना समाधान दिवस पर मनकापुर में जनसुनवायी एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित–

आज दिनांक 11.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना को0 मनकापुर पहुंचकर जनसुनवाई की गई। महोदय द्वारा उपस्थित फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रत्येक प्रकरण के निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। महोदय द्वारा बताया गया कि शासन एवं पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित कर जनसामान्य में पुलिस के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उसकी समस्या का निस्तारण समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाए। समाधान दिवस के उपरांत महोदय द्वारा "साइबर माह" एवं "मिशन शक्ति फेज–5" के अंतर्गत उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः प्रत्येक नागरिक को सतर्क एवं सजग रहते हुए सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना चाहिए। महोदय ने यह भी बताया कि "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई भी चीज नहीं होती, अतः कोई भी व्यक्ति ऐसे फर्जी कॉल या मैसेज से भ्रमित न हो। व्यक्तिगत विवरण सोशल मीडिया पर साझा न करें, सोशल मीडिया एकाउंट्स को प्राइवेट रखें तथा किसी भी फर्जी मोबाइल एप्लिकेशन से लोन के लिए आवेदन न करें।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे–
112 (आपातकालीन सहायता)
1090 (महिला हेल्पलाइन)
1930 (साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग)
181 (महिला सशक्तिकरण हेल्पलाइन)

की जानकारी दी गई। साथ ही, साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा से संबंधित पंपलेट वितरित कर आमजन में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने थानों पर नियुक्त साइबर टीम एवं मिशन शक्ति टीम को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता गतिविधियाँ संचालित करें, विशेष रूप से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा व आत्मरक्षा के प्रति शिक्षित एवं सशक्त करें। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की भावना को समाज में गहराई तक स्थापित करना है।

इस अवसर पर थाना प्रभारी मनकापुर, संबंधित राजस्व अधिकारी, महिला बीट अधिकारीगण, साइबर टीम सदस्य सहित अन्य अधिकारीध्कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 11.10.2025</u>

थाना परसपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2025 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 247/2025 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र दिनेश सिंह, निवासी ग्राम सरदार पुरवा डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को ग्राम सरदार पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.07.2025 को थाना परसपुर क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने ग्राम लच्छनपुरवा, डेहरास स्थित कम्पोजित शराब की दुकान से ₹32,000 नगद और एक पेटी बीयर चोरी की गयी थी साथ ही दुकान के कैमरे व बल्ब तोड़े दिए गए थे तथा कुछ पेटियाँ क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी तथा दिनांक 07.07.2025 की रात्रि ग्राम आंटा स्थित धर्मनगर चौराहा की कम्पोजित शराब की दुकान में दीवार में सेंध लगाकर 12 पीस किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स बीयर चोरी कर ले गए और 4 एलिफेंट बीयर सब्बल से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 04 शातिर चोरो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 11.10.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र दिनेश सिंह, निवासी ग्राम सरदार पुरवा डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को ग्राम सरदार पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंकित सिंह पुत्र दिनेश सिंह, निवासी ग्राम सरदार पुरवा डेहरास, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 246/2025 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 247/2025 धारा 305,331(4),324(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 अमित सिंह।
02. उ0नि0 अमन कन्नौजिया।
03. म0का0 नीतू गौतम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 11.10.2025</u>

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–338/25, धारा 64(2)एम बीएनएस व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लल्लन मिश्रा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद नि0 ग्राम भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को अनुभुला मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.10.2025 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक नाबालिग लड़की द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी लल्लन मिश्रा द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाकर गर्भधारण कराया। दिनांक 02.10.2025 को प्रार्थिनी ने सीएचसी वजीरगंज में बच्चे को जन्म दिया है। विपक्षी अब शादी करने से मना कर रहा है। पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.10.2025 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए आरोपी अभियुक्त लल्लन मिश्रा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद नि0 ग्राम भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को अुनभुला मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. लल्लन मिश्रा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद नि0 ग्राम भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 338/25, धारा 64(2)एम बीएनएस व 5जे(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 यशवन्त कुमार सिंह थाना वजीरगंज।
02. का0 चन्द्रेश वर्मा।
03. का0 सखीचन्द्र।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.10.2025

थाना उमरीबेमगंज पुलिस द्वारा महिलाओं/बालिकाओं से अश्लील हरकत करते समय 03 मनचलो को किया गया गिरफ्तार–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है तथा महिलाओं/बालिकाओं को देखकर अश्लील हरकत करने वाले मंचलों पर कायवाही की जा रही है। आज दिनांक 11.10.2025 को थाना उमरीबेमगंज की एण्टीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत क्षेत्र में व्यापक भ्रमण और निगरानी अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना तथा समाज में जागरूकता फैलाना रहा। भ्रमण के दौरान टीम ने कड़ौरा चौराहा, उमरीबेगमगंज बाजार और मां बाराही देवी चौराहा से तीन व्यक्तियों को महिलाओं और बालिकाओं के सामने अश्लील हरकत करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की गयी। गोण्डा पुलिस की आमजन मानस से अपील की जाती है कि वे किसी भी असामाजिक या आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गोण्डा पुलिस सार्वजनिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति अभियान 5.0 के उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. नन्दलाल यादव पुत्र स्व० रामलाल यादव नि0 ग्राम कड़ौरा, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।
02. संदीप चौहान पुत्र दुनमुन चौहान नि0 ग्राम लोनियन पुरवा, थाना उमरीबेगंज, जनपद गोण्डा
03. देवानन्द उर्फ जंगली पुत्र मकरन्द नि0 ग्राम लालापुरवा टेपरा, मौजा बरौली, थाना उमरीबेगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–217/25, धारा 296 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–218/25, धारा 296 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–219/25, धारा 296 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्र मय टीम।
02. उ0नि0 रामाशंकर यादव मय टीम।
03. उ0नि0 बृजेश यादव मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।